प्राक्कथन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के माध्यम से, योजना के अंतर्गत नामांकित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों तथा उनके आश्रितों को व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करता है। वर्ष 1954 में प्रारम्भ यह योजना 74 शहरों में 331 आरोग्य केन्द्रों के माध्यम से 38.50 लाख लाभार्थियों को व्यापक चिकित्सा देखभाल सुविधाएं प्रदान करती है।

निष्पादन लेखापरीक्षा, 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए यह जांच करने के लिए की गई कि सीजीएचएस में दवाइयों का प्रापण एवं आपूर्ति तथा दावों के प्रतिपूर्ति की प्रणाली कितनी दक्ष एवं प्रभावी थी तथा योजना की कार्यान्वयन प्रक्रिया को सुदृढ करने हेतु उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए की गई।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन को, जिसमें सीजीएचएस में दवाइयों के प्रापण तथा आपूर्ति की लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।